| तारिख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज |
| --- | --- |
| 13.2.20 | पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप०। प्रार्थना-पत्र 128 LRAct पर अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी गई। प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 LRAct का स्वीकार किया जाता है, मौजा खूमावान प० स० डोभाई की आ० नं० 62/41 रकबा 1-295 है० भूमि की पत्थरगढ़ी प्रार्थी व विपक्षीगण आपसी में किये जाने हेतु तहसीलदार, बेनू को 500/- रु. फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता आराजी की पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल मिसल किया गया, आदेश की प्रति तहसीलदार, बेनू को पालनार्थ दी जाती है। पालना पत्थरगढ़ी की प्राप्त होने पर शामिल हो। पत्रावली फैसल की जाकर नम्बर से कम की जावे। NL |

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बेगूँ जिला–चित्तौडगढ़(राज.)
( पीठासी अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या :: 133 / 2019

1. नंदा पिता बालु धाकड निवासी डोराई तह0 बेगूँ

प्रार्थी

बनाम

1. देवीलाल पिता डालु जाति भील निवासी डोराई तह. बेगूँ
2. श्री भूमिधारी जी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़

विपक्षीगण

उपस्थित :: श्री मोहम्मद रफीक
अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश दिनांक:: 13.02.2020

**आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट**

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद रफीक द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा खुमावास प.ह. डोराई तहसील बेगूं में प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात राजस्व रेकार्ड में निम्नानुसार दर्ज है जिसका विवरण इस प्रकार से है:–

| खाता संख्या | आराजी संख्या | रकबा हैक्टर में |
|---|---|---|
| 10 | 62 / 41 | 1.295 |
| | किता– 1 | 1.295 हैक्टर |

यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित कृषि आराजीयात पर प्रार्थी निरन्तर काबिज होकर काश्त कर उपयोग करता चला आ रहे है लेकिन प्रार्थी की उक्त कृषि आराजीयात के पडोस में ही विपक्षी सं. 1 की कृषि आराजीयात स्थित होने से प्रार्थी एवं विपक्षी सं. 1 के मध्य आये दिन सीमाओं को लेकर एवं फसल घास आदि काटते समय विवाद बना रहता है जिसके स्थाई समाधान के लिये प्रार्थीया ने आपसी सहमति से तहसील में चलकर पत्थरगढी करवाये जाने के लिये कहा लेकिन विपक्षी सं. 1 द्वारा इन्कार कर दिये जाने ये यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रस्तूत करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वाद कारण दिनांक 18.06.2019 को अंतिम बार प्रार्थी ने आपसी सहमति से तहसील में चलकर आराजी का स्थाई सीमांकन करवाये जाने के लिये कहने पर विपक्षीगण द्वारा मना कर दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। प्राथ्रना पत्र वर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से प्रार्थना पत्र न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश है।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित मौजा खुमावास प.ह. डोराई की खाता संख्या 10 में अंकित आराजीयात संख्या 62 / 41 रकबा 1.295 हैक्टर भूमि की मौके पर पत्थरगढी किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, विपक्षीगण प्रकरण में बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध न्यायालय द्वारा एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए। पत्रावली में अधिवक्ता प्रार्थी की एक तरफा बहस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई जिन्होने प्रार्थना पत्र अनुसार आराजी की पत्थरगढी कराये जाने का निवेदन किया है।

पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी मौजा खुमावास प.ह. डोराई सं. 2073 से 76 का अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। प्रार्थी नन्दा पिता बलू धाकड वर्णित आराजी संख्या 62 / 41 रकबा 1.295 हैक्टर भूमि के खातेदार दर्ज है, जिन्हें अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकार है।

-----लगातार

Scanned by CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा खुमावास प.ह. डोराई की खाता संख्या 10 में अंकित आराजीयात संख्या 62/41 रकबा 1.295 हैक्टर भूमि की पत्थरगढी प्रार्थी एवं विपक्षी की उपस्थिती में किए जाने हेतु तहसीलदार, बेगूँ को 500/–रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। आदेश की प्रति तहसीलदार, बेगूँ को पत्थरगढी की पालना हेतु दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त आराजी की पत्थरगढी करा पालना रिपोर्ट पेश करें।

आदेश आज दिनांक 13.02.2020 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

13/2

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

38
17.2.2020

आदेश प्रति तहसीलदार, बेगूँ को पत्थरगढी करा पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु दी जाती है।

उपखण्ड अधिकारी
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Scanned by CamScanner